

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 31/2024 (उदयपुर आर्डर)

1. नानूसिंह पिता मोहनसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सोहन कुंवर पुत्री मोहनसिंह जी पत्नी गोपालसिंह जी राजपूत, निवासी बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती धापू कुंवर पुत्री मोहनसिंह जी पत्नी भूरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लीला कुंवर पुत्री मोहनसिंह जी पत्नी हिम्मतसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. मांगूसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. नाथूसिंह पिता हीरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. रघुनाथसिंह पिता जवानसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. किशनसिंह पिता शंकरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. हिम्मतसिंह पिता शंकरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. रोडसिंह पिता गुलाबसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. भैरूसिंह पिता शंकरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती मीरा कुंवर पत्नी दिलीपसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुडा, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती सुमित्रा पत्नी पुष्करलाल जी कुमावत, निवासी 14, शिव कॉलोनी, प्रतापनगर, रेबारियों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती रेखा पत्नी अम्बालाल जी कुमावत, निवासी 14, शिव कॉलोनी, प्रतापनगर, रेबारियों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)



10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 32/2024 (उदयपुर आर्डर)

1. नानूसिंह पिता मोहनसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सोहन कुंवर पुत्री मोहनसिंह जी पत्नी गोपालसिंह जी राजपूत, निवासी बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती धापू कुंवर पुत्री मोहनसिंह जी पत्नी भूरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लीला कुंवर पुत्री मोहनसिंह जी पत्नी हिम्मतसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. मांगूसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. नाथूसिंह पिता हीरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. रघुनाथसिंह पिता जवानसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. किशनसिंह पिता शंकरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. हिम्मतसिंह पिता शंकरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. रोडसिंह पिता गुलाबसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. भैरूसिंह पिता शंकरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती मीरा कुंवर पत्नी दिलीपसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुडा, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती सुमित्रा पत्नी पुष्करलाल जी कुमावत, निवासी 14, शिव कॉलोनी, प्रतापनगर, रेबारियों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

9. श्रीमती रेखा पत्नी अम्बालाल जी कुमावत, निवासी 14, शिव कॉलोनी, प्रतापनगर, रेबारियों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
.....रेस्पोंडेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम-1955 विरुद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 28.08.2024 प्र.सं. 101/2021
----/----

उपस्थित :- 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्तगण
2. श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रे.सं. 1 से 5
-----::-----

निर्णय

दिनांक 31-12-2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पालना खुर्द, तहसील मावली में परिशिष्ट "क" की आराजी नंबर 74, 75, 76, 77 कुल किता 4 रकबा 9.7043 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम हिस्सा बराबर दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट "ख" की आराजी नंबर 78, 79 कुल किता 2 रकबा 2.8814 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 की मौरूसी भूमि होकर मोड़सिंह जी के समय से चली आ रही है, जिनके 6 पुत्र भंवरसिंह, हीरसिंह, नाहरसिंह, मोहनसिंह, गुलाबसिंह व मानसिंह हुए। भंवरसिंह का पुत्र शंकरसिंह हुआ, जिसके वारिस प्रार्थी संख्या 3, 4 व विपक्षी संख्या 6 है, क्रमशः किशनसिंह, हिम्मतसिंह व भैरूसिंह है। हीरसिंह को दो पुत्र हुए जवानसिंह, जिसका पुत्र रघुनाथसिंह प्रार्थी संख्या 2 है तथा दूसरा पुत्र नाथुसिंह प्रार्थी संख्या 1 है। नाहरसिंह का पुत्र विपक्षी संख्या 5 मांगुसिंह है। मोहनसिंह के वारिस नानुसिंह, सोहन कुंवर, धापु कुंवर व लीला कुंवर क्रमशः

विपक्षी संख्या 1 से 4 हैं। गुलाबसिंह का पुत्र रोड़सिंह प्रार्थी संख्या 5 है तथा मानसिंह धूलसिंह के गोद चले गये, जिससे धूलसिंह की समस्त चल अचल सम्पत्ति के स्वामी मानसिंह हुए। चूंकि प्रकरण में मोड़सिंह की सम्पत्ति का ही विवाद है, इसलिए मानसिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वाद पत्र की कलम संख्या 2 के परिशिष्ट "क" "ख" की भूमि के साबिक आराजी नंबर 107 थे, जो बिलानाम किस्म मगरी होकर, राजकीय भूमि थी, जिसके शिकमी (गैरखातेदार) काश्तकार के रूप में मोड़सिंह का नाम दर्ज था, किन्तु तत्समय मोहनसिंह काफी होशियार व चालाक व्यक्ति होने से उक्त भूमियां अपने एवं नाहरसिंह के नाम गैरखातेदारी हक से दर्ज करवा ली, किन्तु कुछ समय बाद सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 5 व 6 के पूर्वज भंवरसिंह, नाहरसिंह, हीरसिंह एवं गुलाबसिंह द्वारा ऐजराज करने पर भू-प्रबन्ध के दौरान मोहनसिंह के साथ भंवरसिंह, नाहरसिंह, हीरसिंह एवं गुलाबसिंह का इन्द्राज किया गया, किन्तु सेहवन से 1/2 हिस्सा मानसिंह पिता धूलसिंह का भी दर्ज कर दिया गया, जबकि मानसिंह धूलसिंह के गोद चले जाने से उनका वादग्रस्त आराजियात में कोई हक हिस्सा शेष नहीं था। उक्त परिशोधन की कार्यवाही में मोहनसिंह ने अपने भाई नाहरसिंह को अपने साथ मिलाकर मिलीभगत के आधार पर परिशिष्ट "क" की आराजियात मोहनसिंह के अपने नाम तथा परिशिष्ट "ख" की भूमि मोहनसिंह व नाहरसिंह दोनों के नाम दर्ज कर दी, जबकि मौके पर पॉचों भाईयों का हिस्सा बराबर से गत 65 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, किन्तु अब विपक्षी संख्या 1 से 5 प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 6 के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देने लग गये हैं तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देते हैं। उक्त आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज होने के कारण विपक्षी संख्या 2 से 4 ने नुमाईशी विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 7 से 9 के पक्ष में निष्पादित कर दिया है, जिससे विपक्षी संख्या 7 से 9 जबरन कब्जा करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 से 4 ने जवाब मय काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सजरे में मोड़सिंह की पुत्रियों का उल्लेख नहीं किया है तथा मोड़सिंह के अन्य मृतक वारिसान में भी पुत्रियों

का उल्लेख नहीं किया है, केवल मात्र पुरुष संतानों को ही समायोजित किया गया है, स्त्री संतानों को वारिस नहीं बनाया है। वास्तव में प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ट "क" की सम्पूर्ण आराजियात एवं परिशिष्ट "ख" में वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्सा मोहनसिंह जी के नाम गैरखातेदारी हक से दर्ज थी, मोड़सिंह के नाम गैरखातेदारी हक से कभी भी दर्ज नहीं थी, न ही उनके जीवनकाल में कभी उनका कब्जा रहा है। परिशिष्ट "क" की सम्पूर्ण आराजियात मोहनसिंह जी की खातेदारी की होने से विरासत से विपक्षी संख्या 1 से 4 को प्राप्त हुई हैं तथा परिशिष्ट "ख" की 1/2 हिस्सा नाहरसिंह का होने से विरासत से 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 5 को प्राप्त हुआ है। विपक्षी संख्या 1 से 5 उक्त आराजियात पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण का उक्त आराजियात पर कोई हक व अधिकार नहीं है, न ही उनका कब्जा है, लेकिन प्रार्थीगण आये दिन मौके पर विवाद करते रहते हैं तथा ताकत के बल पर कब्जा करने की धमकी देते हैं। अतः विपक्षी संख्या 1 से 4 का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 5 की ओर से भी जवाब मय काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पुत्रियों का सजरे में कोई उल्लेख नहीं किया है तथा गलत एवं अपूर्ण सजरा प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त परिशिष्ट "ख" की आराजियात में 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता मोहनसिंह को तथा 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 5 के पिता नाहरसिंह हिस्सा गैरखातेदारी से आवंटित होकर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके थे, जिसमें मोड़सिंह के अन्य वारिसान का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादग्रस्त परिशिष्ट "क" की आराजियात मोहनसिंह के खातेदारी में तथा परिशिष्ट "ख" की आराजियात 1/2 हिस्सा मोहनसिंह एवं 1/2 हिस्सा नाहरसिंह के खातेदारी में दर्ज है थी जो विरासत से विपक्षी संख्या 1 से 5 को प्राप्त हुई हैं। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 5 के विरुद्ध गलत आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण आये दिन मौके पर आकर कब्जा करने की धमकी देते हैं। अतः विपक्षी का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षीगण के उक्त दोनों काउण्टर प्रार्थना पत्रों का जवाब प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात मोड़सिंह के समय की होकर प्रार्थीगण का भी उक्त आराजियात में हक हिस्सा निहित है तथा इसी कारण प्रार्थीगण द्वारा घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 28-08-2024 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा अपील संख्या 32/2024 प्रस्तुत की गयी है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से ही विपक्षीगण काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये जाने से रूष्ट होकर अपीलान्त/विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा अपील संख्या 31/2024 प्रस्तुत की गयी है।

दोनों अपीले दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

चूंकि दोनों अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान हैं तथा दोनों अपीलों अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 101/2021 में पारित निर्णय दिनांक 28-08-2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अतः दोनों अपीलों का एक ही निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात से मोड़सिंह का कोई संबंध नहीं है। उक्त आराजियात कभी भी मोड़सिंह को आवंटित नहीं हुई है, न ही मोड़सिंह को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं। उक्त आराजियात पहली बार मोहनसिंह को आवंटित हुई एवं वो गैर खातेदार भी दर्ज रहे तथा बाद में खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हुए। इस प्रकार उक्त आराजियात

मोहनसिंह जी की व्यक्ति थी, जिनसे रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र शपथ पत्रों के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकर करते हुए अपीलान्तगण का काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो बिना अधिकार के होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ 2018 Page 503, RBJ 2006 Page 21, RBJ 2011 Page 174, RRD 2001 Page 175, RBJ 2019 Page 759, RBJ 2002 Page 261 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बताया कि बेटियों को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। विवादित आराजियात मोड़सिंह के समय से चली आ रही हैं तथा मौके पर अपीलान्त व रेस्पोंडेन्ट का बराबर-बराबर हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है जो प्रस्तुत शपथ पत्रों से साबित है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 1965 Page 120, AIR 1977 Raj. Page 196 (HC), RBJ 2020 (27) Page 82, RRD 1975 Page 85, Order Supreme Court of India Jitendra Singh v/s State Decided on 06-09-2021, RBJ 2020 (27) Page 726, RRD 2004 Page 117 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्तगण के विरुद्ध एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जो धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत है। मात्र मौखिक शपथ पत्रों के आधार पर विवादित आराजियात को मौरूसी नहीं माना जा सकता, जैसाकि RBJ 2002 Page 261 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सांवरमल बनाम मु. शान्ति देवी में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णाय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। मौके पर विवाद को रोकने

हेतु मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना ही पर्याप्त है, जिससे दोनों पक्ष पाबन्द होते एवं पक्षकार की बीच विवाद नहीं होता, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर बिना कोई विवेचन किये मात्र शपथ पत्रों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जबकि राजस्व रेकार्ड अनुसार अपीलान्तगण रेकार्डेड खातेदार हैं तथा अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर RBJ 2018 Page 503, RBJ 2006 Page 21, RBJ 2011 Page 174 अनुसार रेकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। हालांकि इसके विरुद्ध अभिभाषक रेस्पॉन्डेन्ट द्वारा भी न्यायिक नजीरें प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया गया है तथा न्यायिक नजीर RBJ 2020 (27) Page 82 अनुसार रेकार्डेड खातेदार के विरुद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, किन्तु इस न्यायिक नजीर में यह भी वर्णित है कि रेकार्डेड खातेदार के विरुद्ध तभी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, जब अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त उसके पक्ष में हो, किन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के उक्त बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28-08-2024 अपास्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 उदयपुर